सं0-237 /नौ-2 (पे0) /2004

प्रेषक,

पी0 के0 महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग–

देहरादून दिनांक 27 फरवरी ,2004

विषय– जनपद उत्तरकाशी की डामटा पेयजल योजना के पुनर्गठन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 4370/प्राक्कलन2003–04, दिनांक 22. 01. 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद उत्तरकाशी की जिला योजना में चल रही डामटा पेयजल योजना के प्राक्कलन अनु लागत रू0 रू0 125.00 लाख के परीक्षणोपरान्त टी0 ए0 सी0 द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 118.83 लाख (रू0 एक करोड़ सोलह लाख तिरासी हजार मात्र) की लागत के प्राक्कलन पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते है।

2– उपरोक्त प्राक्कलन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है ।

(1) आगणन मे उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरो को जो दरे शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानें है।स्वीकृत मानें से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित नियमो/दरो/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियो एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य कर लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देश तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

(7) आगणन में जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।
(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।
(9) कार्य की समयवद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
(10) कार्य कराते समय बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका ,स्टोरपरचेज रूल्स ,टेण्डर विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषयमें शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशो का अनुपालन किया जायेगा ।
(11) योजना की Capital Cost रू0 4000/Per Capita आ रही है। तुलनात्मक रूप से स्वजल परियोजना में जो योजनायें चालू की गई है उससे Cost comparison भी कर लिया जाय और यदि कमी होती है तो उसका विवरण शासन को देते हुए तद्नुसार प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति को भी यथासमय संशोधित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–2932/ वि0अनु0 –3/2003 दिनांक–23 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव

पृ0सं0 ‌37(1)/नौ–2(पे0)/2003/टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून ।
(2) आयुक्त कुमॉयू मण्डल, ~~नैनीताल~~ ।
(3) जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।
(4) अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड,उत्तरांचल जल संस्थान,उत्तरकाशी को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया योजना से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को निर्देशित करें कि वे शासन से सम्पर्क कर आगणन में की गयी कटौतियों के विवरण को नोट कर लें ।
(5) वित्त अनुभाग–3 नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन
(6) निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री/मा0 पेयजल मंत्री उत्तरांचल ।
(7) निदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
(8) श्री एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग ।
(9) महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, कुमॉयू ~~मण्डल, नैनीताल~~ ।
(10) निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून ।

आज्ञा से

(कुवर सिंह)
अपर सचिव